

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2017-कार्तिक 19, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर ज्योति वर्मा पति अभिषेक वर्मा (Jyoti W/o Abhishek Verma) के स्थान पर ज्योति सोनी पति अभिषेक सोनी (Jyoti Soni W/o Abhishek Soni) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ज्योति सोनी पति अभिषेक सोनी (Jyoti Soni W/o Abhishek Soni) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवे.

पुराना नाम :
(ज्योति वर्मा)

नया नाम :
(ज्योति सोनी)
पति अभिषेक सोनी,
सी-128, बंसत विहार,
बाम्बे अस्पताल के सामने, इन्दौर.

(479-बी.)

नाम परिवर्तन

गया प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 24 वर्ष, पिता श्री देवराज विश्वकर्मा, निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना शहडोल, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम गया प्रसाद विश्वकर्मा पिता श्री देवराज विश्वकर्मा था. जिसे बदल कर मैंने अपना नाम गौतम विश्वकर्मा कर लिया है. अतः इस सूचना प्रकाशन के बाद मेरे समस्त दस्तावेजों, निर्वाचन-पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक खातों आदि में मेरा नाम गया प्रसाद विश्वकर्मा की जगह गौतम विश्वकर्मा दर्ज किया जाये तथा अब मुझे गौतम विश्वकर्मा के नाम से ही जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(गया प्रसाद विश्वकर्मा)

नया नाम :
(गौतम विश्वकर्मा)
पिता-श्री देवराज विश्वकर्मा,
ग्राम-कल्याणपुर, जिला शहडोल.

(486-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, आंचल जायसवाल पुत्री श्री छोटेलाल जायसवाल, निवासी कोठी रोड, रीवा शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरा पूर्व के दस्तावेजों में नाम चन्द्रकली जायसवाल था. जो बदलकर मैं आंचल जायसवाल रख लिया है अतः अब मुझे चन्द्रकली जायसवाल के स्थान पर आंचल जायसवाल नाम से समझा एवं जाना जाये. जो अब समस्त अभिलेखों में भी रहेगा

पुराना नाम :

(चन्द्रकली जायसवाल)

(487-बी.)

नया नाम :

(आंचल जायसवाल)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजू ओकास, उम्र 40 वर्ष, पत्नी स्व. अशोक ओकास, निवासी 1495, गढ़ा वार्ड गंगानगर कॉलोनी में निवास करती हूँ. मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अंजू शर्मा लिखा हुआ है. चूँकि मेरा विवाह अशोक ओकास से दिनांक 06-05-1999 को हुआ था चूँकि मेरा विवाह अशोक ओकास से हो चुका है. इसलिए अब मुझे अंजू शर्मा की जगह अंजू ओकास पति स्व. अशोक ओकास के नाम पढ़ा एवं जाना जावे.

आलोक जैन,

एडवोकेट

म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर

(488-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुमन मिश्रा पति अतुल मिश्रा, निवासी सी/79, रजत जयति काम्पलेक्स, स्कीम नं. 54, इन्दौर घोषणा करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम सुमन निगम पति रजनीकांत निगम था. श्री रजनीकांत के निधन के बाद मैंने श्री अतुल मिश्रा पिता रमाकांत मिश्रा से विवाह किया व विवाह बाद मेरा नाम सुमन मिश्रा पति अतुल मिश्रा हो गया है व मुझे अब इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(सुमन निगम)

(489-बी.)

नया नाम :

(सुमन मिश्रा)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनाकर्ता के पुत्र सूरज यादव ने हैप्पीडेज स्कूल कल्थामिल कॉलोनी, शिवपुरी से 2017 में कक्षा 10 वीं की परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की थी उसकी उक्त परीक्षा की अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र में मेरा नाम राजवीर यादव लिखा है जबकि मेरा पूरा व सही नाम राजीव कुमार यादव है उक्त त्रुटियों का संशोधन करवाया जा रहा है. अतः सूरज यादव की अंकसूची एवं प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम राजीव कुमार यादव पढ़ा व मान्य किया जावे.

सूचनाकर्ता-

राजीव कुमार यादव,

पुत्र श्री हरिराम सिंह,

निवासी-ग्राम इमलौदा, तहसील बदरवास,

जिला शिवपुरी.

(490-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कि नुपुर आनन्द, उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री बी. एच. आनन्द, निवासी 23, बैंकर्स कॉलोनी, गुमानपुरा, कोटा की हूँ जो ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न शपथपत्र आलेखित करती हूँ जो मेरे स्वज्ञान से सही व सत्य है. मैं, शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांक 1 मई, 2006 को श्री मनोज डावरानी आत्मज श्री भगवानदास डावरानी, निवासी ग्वालियर के साथ हुआ है. विवाह पश्चात् मेरा नाम नुपुर आनन्द से बदलकर भूमिका डावरानी रख दिया गया है तब से मुझे भूमिका डावरानी के नाम से जाना पहचाना जाता है. नुपुर आनन्द एवं भूमिका डावरानी एक ही व्यक्ति के नाम हैं.

मैं, शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि उक्त शपथपत्र के समस्त तथ्य सही व सच हैं, इसमें कोई तथ्य गलत व असत्य दर्ज नहीं किया गया है, न ही छिपाया गया है. ईश्वर सच बोलने में मेरी मदद करे.

पुराना नाम :

(नुपुर आनन्द)

(496-बी.)

नया नाम :

(भूमिका डावरानी)

डी-6/ए, समाधिया कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद इसरार शेख यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम मोहम्मद जुल्करनैन शेख (MOHD. ZULKARNAIN SHEIKH) है जो कि बदलकर अब मोहम्मद अनस शेख (MOHD. ANAS SHEIKH) रखा गया है. अतः सभी शासकीय/अशासकीय कार्यों हेतु मेरे पुत्र को अब मोहम्मद अनस शेख (MOHD. ANAS SHEIKH) के नाम से जाना जाए.

मोहम्मद इसरार शेख,

64, जगदीश गली, बड़नगर, तहसील बड़नगर,

जिला उज्जैन.

(492-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विश्वनाथ गंगाधर तैलंग पुत्र श्री गंगाधर तैलंग के नाम से मेरे सभी शासकीय प्रपत्र बैंक आदि एवं इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ जबकि मेरे शैक्षणिक प्रपत्रों में मेरा नाम विश्वनाथ पुत्र गंगाधर तैलंग है, जबकि मेरे शैक्षणिक प्रपत्रों में मेरा नाम विश्वनाथ पुत्र गंगाधर तैलंग है जबकि दोनों ही नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः मुझे विश्वनाथ गंगाधर तैलंग के नाम के साथ ही मान्य एवं स्वीकार है.

मैं लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(विश्वनाथ)

(495-बी.)

नया नाम :

(विश्वनाथ गंगाधर तैलंग)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म श्री बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कम्पनी 13, वर्धमान टावर, रसल चौक, जबलपुर रजिस्ट्रेशन नं. 04/14/01/00159/11, दिनांक 01-08-2011 की भागीदारी से निम्न भागीदार दिनांक 30-06-2017 से विलग (पृथक्) हो गये हैं (1) सुशील अग्रवाल वल्द स्व. पी. डी. अग्रवाल.

अब 01-07-2017 से फर्म श्री बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कम्पनी में निम्न भागीदार हो गये हैं-(1) विनी राज मोदी वल्द श्री वी. के. जैन, (2) मिनी राज मोदी वल्द श्री वी. के. जैन, (3) धर्मेन्द्र गुप्ता पिता श्री एन. आर. गुप्ता, (4) रजनीत जैन पिता श्री डी. सी. जैन, (5) नितिन जैन पिता श्री डी. सी. जैन, (6) अपूर्व सिंघई पिता श्री राकेश सिंघई.

विनी राज मोदी

(भागीदार).

वास्ते: मे. श्री बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कम्पनी,

जबलपुर.

(482-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. भवानी सहाय जगदीश प्रसाद अग्रवाल, आजाद वार्ड सिवनी (म.प्र.) दीनदयाल मार्केट कोरबा (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 2164 वर्ष 1973-74, दिनांक 24 जनवरी, 1974 को पंजीकृत है. उक्त फर्म में रामचंद्र अग्रवाल पिता स्व. जगदीश प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती गंगा देवी अग्रवाल पति रामचंद्र अग्रवाल, अनूप अग्रवाल पिता रामचंद्र अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, पिता रामचंद्र अग्रवाल, श्रीमती उमा देवी अग्रवाल पति स्व. मदनलाल अग्रवाल एवं आशीष अग्रवाल पिता स्व. मदनलाल अग्रवाल, निवासी सिवनी भागीदार हैं. दिनांक 17-01-1994 को आपसी सहमति से श्रीमती उमा देवी पति स्व. मदनलाल अग्रवाल एवं श्री अशीष अग्रवाल पिता स्व. मदनलाल अग्रवाल भागीदारी से अलग हो गए हैं. दिनांक 10-06-2006 को रामचंद्र अग्रवाल का स्वर्गवास होने से वे फर्म से अलग हो गए. वर्तमान में श्रीमती गंगादेवी पति स्व. रामचंद्र अग्रवाल, श्री अनूप अग्रवाल पिता स्व. रामचंद्र अग्रवाल तथा श्री मनीष अग्रवाल पिता स्व. रामचंद्र अग्रवाल उक्त फर्म में भागीदार हैं. यदि किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था को कोई आपत्ति हो तो फर्म कार्यालय में 7 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कराएं.

वास्ते: मे. भवानी सहाय जगदीश प्रसाद अग्रवाल,

अनूप अग्रवाल

(भागीदार).

(483-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स एक्सीलेंट फ्यूचर ग्रुप, फर्म एवं सोसायटी सम्भाग, जबलपुर के अंतर्गत एक्ट की धारा-58(1) के अंतर्गत दिनांक 19-10-2016 से रजिस्टर्ड फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन क्र. 04/14/01/0154/16 है। जिसमें पार्टनर के रूप में राजेश राय व संजय सोनी रजिस्टर्ड पार्टनर हैं। उक्त फर्म की संरचना में दिनांक 06-06-2017 को परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत पार्टनर के रूप में संजय सोनी फर्म से अलग हो रहे हैं व उनकी जगह राजेश सोनी पार्टनर के रूप में उक्त फर्म में दाखिल हो रहे हैं। इसके अलावा सभी नियम व शर्तों पूर्व की पार्टनरशिप डीड के अनुरूप ही रहेगी। उक्त प्रकरण में अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो कृपया 7 दिवस के भीतर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस डी-8, अर्बन जिला जबलपुर में सूचित करें।

मे. एक्सीलेंट फ्यूचर ग्रुप,
राजेश राय
(पार्टनर).

(484-बी.)

PUBLIC NOTICE

It is infrom to all that in our partnership firm M/s SHRI RANG PETROCHEM INDUSTRIES, Registered office at 19, Yashwant Niwas Road, Indore M.P. 452001 is registered with the office of the Assistant Registrar, Firms and Societies, Indore M.P. 452001 vide registration Number IF/43-99-2000, dated 16-07-1999 and amended partnership deed vide 3876/08, Dated 27-02-2009 the following changes have been taken place:

S.No.	Name of the Partner	Nature of changes	Effective Date
1.	Navinchandra Madhavbhai Patel	Continue as Partner	-
2.	Vinodbhai Ramanbhai Patel	Retired Partner	04/08/2017
3.	Sanjeev Kumar Aggarwal	Admitted as Partner	04/08/2017
4.	Surinder Gupta	Admitted as Partner	04/08/2017

All the concern parties may take notice of the same.

Shri Rang Petrochem Industries,
NAVINCHANDRA,
MADHAV BHAI PATEL,
(Partner).

(485-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म मैसर्स श्री गणपतलाल ओंकारलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, स्वास्तिक हाउस, 21/3, रतलाम कोठी, इन्दौर, जिसका पंजयीन क्र. 03/27/03/00039/08, दिनांक 04-06-2008 हैं, में दिनांक 29-09-2017 से (1) श्रीमती गीता देवी बिंदल, (2) श्री विष्णु प्रसाद बिंदल एवम् (3) श्री हितेश बिंदल रिटायर्ड हो गए हैं। अब इस फर्म के भागीदारों ने आपसी सहमति से फर्म का नया पता-110-111, टी बी सी टावर, 22/1, साउथ तुकोगंज, गीता भवन चौराहे के पास, ए. बी. रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश कर लिया है।

मेसर्स श्री गणपतलाल ओंकारलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी,
विकास बंसल,
(भागीदार).

(493-बी.)

PUBLIC NOTICE

Known all men by this public notice that from the partnership firm M/s Vanshika Construction, Deori-Rajmarg, District Narsinghpur (M.P.) Shri Uma Shankar Sharma S/o Late Badri Prasad Sharma has left the firm from 01-04-2016 and Shri Dharmendra Sharma S/o Kanhaiya Lal Sharma has taken in the firm as a new partner from 01-04-2016 (From the Opening hours of business).

M/s Vanshika Construction,
RAMLAL JHARIYA
(Partner).

(494-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल
प्र.क्र.135/बी-121/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (श्री कुंदकुंद कहान दिगम्बर जैन ट्रस्ट) द्वारा श्री अशोक जैन, अध्यक्ष कार्यालय म. नं -ई-2/103, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में किये गये बदलाव ट्रस्ट के पूर्व सदस्य (1) श्री मुकेश जैन पुत्र डॉ. श्री राजेश जैन, निवासी-406, यशराज रेसीडेंसी गीता भवन इंदौर के इस्तीफा देने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति श्री चिन्मय बडकुल पुत्र श्री सनतकुमार बडकुल, निवासी-घर संसार डिपार्टमेंटल स्टोर पी.एन.बी. बैंक के पास माधोगंज, विदिशा का नाम जोड़ा जाना है, (2) श्री अजीत मोदी पुत्र स्व. श्री मूलचंद मोदी, निवासी-157, ग्रीन पार्क कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल के निधन से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए श्री आशीष कुमार मोदी पुत्र स्व. श्री अजीत मोदी, निवासी-157, ग्रीन फर्म कॉलोनी बैरसिया रोड, भोपाल का नाम ट्रस्ट में जोड़े जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 27-10-2017 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | कुंदकुंद कहान दिगम्बर जैन ट्रस्ट. |
| 2. अचल संपत्ति | : | निल. |
| 3. चल संपत्ति | : | निल. |

आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गईं.

(1598)

संजय कुमार श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "श्री सकलेचा कुल भैरवनाथ धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास" पता-86, तिलक नगर एक्सटेंशन इन्दौर, म.प्र. तर्फे न्यासीगण श्री पंकज पिता स्व. श्री प्रकाशचंद सकलेचा अन्य-3, पता-86, तिलक नगर एक्सटेंशन, इन्दौर के द्वारा श्री सकलेचा कुल भैरवनाथ धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | "श्री सकलेचा कुल भैरवनाथ धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास" |
| पता | : | 86, तिलक नगर एक्सटेंशन इन्दौर (मध्यप्रदेश). |
| चल संपत्ति | : | न्यास की चल सम्पत्ति नगद रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) है। जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है. |
| अचल संपत्ति | : | अचल सम्पत्ति निरंक है. |

आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1599)

बिहारीसिंह,
पंजीयक.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक AVP FOUNDATION, पता-202, दिलपसंद सोलियेयर, 2/5, मनोरमागंज, इन्दौर, म.प्र. तर्फे न्यासीगण श्री आर. के. जैन एवं श्री रामेश्वर गुप्ता के द्वारा AVP FOUNDATION का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“AVP FOUNDATION”
पता	:	कार्यालय-202, दिलपसंद सोलियेयर, 2/5, मनोरमागंज, इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति नगद रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) हैं। जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।
अचल संपत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

नीता राठौर,
रजिस्ट्रार।

(1599-A)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. 2-बी/113-2006-07.

प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि श्री प्रमोद पिता मुरलीधर चौहान, निवासी बहादरपुर वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री सकलपंच बडगुजर समाज ट्रस्ट बहादरपुर, तहसील बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 24 जुलाई, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

- वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री कि आवेदक श्री सकलपंच बडगुजर समाज ट्रस्ट बहादरपुर, तहसील बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर।
- चल सम्पत्ति बैंक ऑफ इंडिया बहादरपुर, बुरहानपुर में न्यास के नाम से खोले जाने वाले खाते में न्यासियों द्वारा जमा की जाने वाली नगद राशि रु. 16.50.074/- एफडी-2-43,102.87/- 61711.80/-.
- अचल सम्पत्ति ग्राम लोनी में खसरा नंबर 613/1 रकवा 0.08, ग्राम बहादरपुर में खसरा नंबर 684 रकवा 1.42 हे. मोहम्मदपुरा स्थित खसरा नंबर 467 रकवा 1.15 हे.
जारी दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

सोहन कनाश,
पंजीयक।

(1600)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 07 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2017/1254.-जिले में स्थित पनिका बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, चितरांव, शहडोल, पंजीयन क्रमांक 434, दिनांक 30 मार्च, 1963 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/7-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत पनिका बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, चितरांव, शहडोल, पंजीयन क्रमांक 434, दिनांक 30 मार्च, 1963 का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1606)

बी. एस. परते,

उपायुक्त, सहकारिता.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/2536.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सिलरा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, पूर्व पंजीयन क्र. 18, दिनांक 22 मार्च, 2003 एवं संशोधित पंजीयन क्र. 674, दिनांक 09 अगस्त, 2016 के परिसमापक श्री डी. के. मडोइया, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशांसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है. जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है. संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है. नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था के पुनः परिसमापन की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्रीमती रेखा सोलंकी पत्नि अजमेर सिंह | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती सूरज बाई सोलंकी | उपाध्यक्ष |
| 3. श्रीमती सरोज बाई पत्नि इन्द्रपाल सिंह | सदस्य |
| 4. श्रीमती बाटो बाई पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण | सदस्य |
| 5. श्रीमती सुनीता पत्नि श्री जय सिंह | सदस्य |
| 6. श्रीमती सुमन पत्नि विजय सिंह | सदस्य |
| 7. श्रीमती राजकुमारी बाई पत्नि श्री रामकिशन | सदस्य |

(1604)

के. के. द्विवेदी,

उप-पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57-सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर

धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, नौगांव	डी.आर./जी.डब्लू.आर./337 दिनांक 24-03-2003	डी.आर./2017/709 दिनांक 25-03-2017
2.	सर्वहितकारी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, सिगौरा	डी.आर./जी.डब्लू.आर./946 दिनांक 22-05-2004	डी.आर./2017/710 दिनांक 25-03-2017
3.	मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, तिघरा	डी.आर./जी.डब्लू.आर./457 दिनांक 28-08-1987	डी.आर./2017/685 दिनांक 25-03-2017
4.	आस्था महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, अजयपुर	डी.आर./जी.डब्लू.आर./973 दिनांक 13-07-2006	डी.आर./2017/722 दिनांक 25-03-2017
5.	किसान फल-फूल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घाटीगांव	डी.आर./जी.डब्लू.आर./296 दिनांक 25-09-2001	डी.आर./2017/725 दिनांक 25-03-2017
6.	जय बालाजी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, पुरानीछावनी	डी.आर./जी.डब्लू.आर./991 दिनांक 30-07-2010	डी.आर./2017/696 दिनांक 25-03-2017
7.	जय कालिका महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, सुशेरा	डी.आर./जी.डब्लू.आर./945 दिनांक 05-12-2004	डी.आर./2017/695 दिनांक 25-03-2017
8.	वीरांगना महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, वीरपुर, ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्लू.आर./955 दिनांक 17-06-2004	डी.आर./2017/712 दिनांक 25-03-2017

उक्त सहकारी संस्थाओं के परिसमापन में आने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अजय दुबे,

(1587)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57-सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर

धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अंकित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्लू.आर./337 दिनांक 24-03-2003	डी.आर./2017/728 दिनांक 25-03-2017

उक्त सहकारी संस्था के परिसमापन में आने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयवाधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

भूपेन्द्र पाल सिंह,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(1588)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विल्हेटी, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./492, दिनांक 31 मार्च, 1989 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2002/2737, दिनांक 15 नवम्बर, 2002 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आलोक साहू, उप-अंकेक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विल्हेटी का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1589)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करियावटी, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./537, दिनांक 31 मार्च, 1990 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1781, दिनांक 06 जुलाई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आलोक साहू, उप-अंकेक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करियावटी, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1589-A)

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हस्तिनापुर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-F)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शुक्लहारी, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./646, दिनांक 31 मार्च, 1991 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2005/1796, दिनांक 06 जुलाई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री गिरीश जैन, उप-अंकेक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शुक्लहारी, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-G)

वीणा वादिनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./792, दिनांक 27 मार्च, 1995 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1003, दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वीणा वादिनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-H)

नेमीनाथ महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पनिहार, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./936, दिनांक 03 मार्च, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/980, दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नेमीनाथ महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पनिहार का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-I)

रामचन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./366, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/980, दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रामचन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-J)

अन्नपूर्णा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सेथरी, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./911, दिनांक 01 जनवरी, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1075, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ओ. एन. शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अन्नपूर्णा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सेथरी का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-K)

सतोषी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बरई, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./932, दिनांक 12 मई, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/975, दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतोषी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बरई का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-L)

पीतम्बरा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./354, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1092, दिनांक 30 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री राजकुमार शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पीतम्बरा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-M)

उत्कर्ष स्वास्थ्य सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./407, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/1115, दिनांक 26 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्कर्ष स्वास्थ्य सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-N)

युवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./322, दिनांक 31 मार्च, 2011 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/715, दिनांक 23 मई, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये युवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-O)

नवजीवन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., पिछोर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्ल्यू.आर./639, दिनांक 24 अप्रैल, 1992 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2001/852, दिनांक 21 मार्च, 2001 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, डबरा द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवजीवन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., पिछोर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-P)

इन्दिरा गाँधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घई, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्ल्यू.आर./798, दिनांक 06 मई, 1995 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1065, दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री राज कुमार शर्मा, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दिरा गाँधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घई, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-Q)

चम्बल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्ल्यू.आर./866, दिनांक 05 फरवरी, 1999 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2009/1542, दिनांक 13 अगस्त, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री भूपेन्द्र पाल सिंह, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-R)

हरिजन खदान सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्ल्यू.आर./547, दिनांक 22 अगस्त, 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2005/1425, दिनांक 23 मई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, डबरा ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन खदान सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-S)

जागृति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./872, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1005, दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-T)

दि टेलीग्राफ एम्लाईज को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./356, दिनांक 21 दिसम्बर, 1976 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1998/1052, दिनांक 28 अप्रैल, 1998 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दि टेलीग्राफ एम्लाईज को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-U)

महिला विकास साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./851, दिनांक 02 सितम्बर, 1996 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1007, दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला विकास साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-V)

अटल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./371, दिनांक 11 जून, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1125, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अटल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-W)

कालिन्दी पी. बी. सी. उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./390, दिनांक 11 मार्च, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1001, दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कालिन्दी पी. बी. सी. उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-X)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./273, दिनांक 28 अप्रैल, 1970 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/2589, दिनांक 14 दिसम्बर, 1993 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री वाय. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-Y)

हेल्दी फूड मसरूम सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./802, दिनांक 26 जून, 1995 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2005/1035, दिनांक 08 अप्रैल, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री राजीव रूपौलिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हेल्दी फूड मसरूम सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1589-Z)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./956, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1019, दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री राजीव रूपौलिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1590)

अनुभा सूद,
उप पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 06 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1044.-सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दर्शाया गया है जो

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लायी गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	334/27-10-1956	679/12-06-2017
2.	सूर्या मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	702/01-09-2004	679/12-06-2017
3.	डाकतार कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	740/30-11-1997	679/12-06-2017
4.	शिक्षक जनकल्याण साख सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	17/13-07-1977	679/12-06-2017
5.	शासकीय वेतन पाने वालों की साख सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	313/10-10-1956	679/12-06-2017
6.	महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्यादित, हाउसिंग कॉलोनी, भिण्ड	923/25-10-2005	679/12-06-2017
7.	दि इन्दोर सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	997/26-12-2012	679/12-06-2017
8.	श्री कृष्ण बहु. स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, नबादाबाग, भिण्ड	22/01-11-2002	679/12-06-2017
9.	मोनिका स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	23/14-11-2002	679/12-06-2017
10.	बधुंत्व स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	54/22-11-2002	679/12-06-2017
11.	चंबल क्षेत्रीय स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	184/25-08-2005	679/12-06-2017
12.	माँ पदमावती स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	185/10-04-2007	679/12-06-2017
13.	उदय स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	188/09-06-2010	679/12-06-2017
14.	हमारा दफ्तर हमारा घर स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	190/03-07-2010	679/12-06-2017
15.	परस्पर स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	191/09-08-2010	679/12-06-2017
16.	जय बजरंग स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	197/26-06-2012	679/12-06-2017
17.	चंबल विकास स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	199/17-07-2012	679/12-06-2017
18.	जनहित कल्याण साख सहकारिता मर्यादित, भिण्ड	1000/05-04-2013	679/12-06-2017
19.	बैंक एण्ड स्टॉफ साख सहकारी संस्था मर्यादित, भिण्ड	4270/12-01-2008	679/12-06-2017
20.	महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, धिलौआ	908/18-03-2005	948/29-08-2017
21.	गायत्री महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, डोंडरी	909/18-03-2005	948/29-08-2017
22.	महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भारोली	910/18-03-2005	948/29-08-2017
23.	ग्रामीण महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, परावन	911/22-03-2005	948/29-08-2017
24.	हरिजन तेल उद्योग स्वायत्त सहकारिता, मेहगाँव	32/03-01-2003	948/29-08-2017
25.	माँ पदमावती प्राथमिक उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., गोरमी	49/14-10-2003	948/29-08-2017
26.	आशीष प्राथमिक उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्यादित, गोरमी	86/26-02-2004	948/29-08-2017
27.	श्री पार्श्वनाथ प्राथमिक उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता भण्डार मर्या., गोरमी	44/04-09-2008	948/29-08-2017

अतः मैं, एम. सी. जैन, स. नि. एवं परिसमापक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियाँ प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता,

जिला भिण्ड (जिला पंचायत परिसर) में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों, व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड बही एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एम. सी. जैन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1591)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लायी गई है तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., गोहद	719/02-02-2016	946/29-08-2017
2.	हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद	359/14-06-1985	946/29-08-2017
3.	मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद, जिला भिण्ड	122/23-06-1962	946/29-08-2017
4.	सुभान साख सहकारी संस्था मर्या., मौ	698/26-05-1984	946/29-08-2017
5.	जय बजरंग यातायात सहकारी संस्था, गोहद	750/02-11-1998	946/29-08-2017
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएँ मर्या., घमूरी	557/23-07-1987	946/29-08-2017
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएँ मर्या., खनेता	641/30-04-1989	946/29-08-2017
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएँ मर्या., चितौरा	502/18-03-1988	946/29-08-2017
9.	सहकारिता आदिवासी श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., डांग विरखड़ी	468/13-07-1977	946/29-08-2017
10.	बजरंग श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., झांकरी	667/20-12-1989	946/29-08-2017
11.	समता श्रम ठेका श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., सिरसोंदा	682/18-02-1996	946/29-08-2017
12.	अनु. जाति श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., दिलीप सिंह का पुरा	721/15-03-1996	946/29-08-2017
13.	जय शीतला श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., गोहद	260/02-06-1975	946/29-08-2017
14.	पत्थर खदान श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., दिलीप सिंह का पुरा	826/05-08-2001	946/29-08-2017
15.	उदवहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., रसनौल	243/20-10-1972	946/29-08-2017
16.	आदर्श सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., टिमावली	299/21-11-1980	946/29-08-2017

1	2	3	4
17.	तिजारत सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	73/25-06-1953	946/29-08-2017
18.	तिजारत सहकारी संस्था मर्या., गोहद	-	946/29-08-2017
19.	क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., नौनेरा	409/10-04-1963	946/29-08-2017
20.	राजीव गाँधी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद	714/14-06-1995	946/29-08-2017
21.	अ.जा./अ.ज.जा. स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	881/01-03-2004	946/29-08-2017
22.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायतपुरा	855/28-10-2003	946/29-08-2017
23.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटायदा सिकोली	758/27-11-2002	946/29-08-2017
24.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जनकपुरा	851/25-09-2002	946/29-08-2017
25.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गिरगांव	753/20-09-2001	946/29-08-2017
26.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुमारा सहरोली	770/30-07-1999	946/29-08-2017
27.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टैटोन	85/13-08-1999	946/29-08-2017
28.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाराहेड	783/12-08-1999	946/29-08-2017
29.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रटवा खुर्द	778/05-08-1999	946/29-08-2017
30.	आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मौ	2641/20-04-1991	946/29-08-2017
31.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मदनपुरा	250/04-07-1973	946/29-08-2017
32.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भगवासा	292/15-11-1980	946/29-08-2017
33.	अंसारी कालीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मौ	664/01-03-1997	946/29-08-2017
34.	मेमिन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मौ	363/28-08-1986	946/29-08-2017
35.	अल्प संख्यक हाथ करघा कालीन बुनकर सह. संस्था मर्या., मौ	644/01-03-1997	946/29-08-2017
36.	धातु काष्ठ कला वस्तु निर्माण सहकारी संस्था मर्या., गोहद	122/26-12-1962	946/29-08-2017
37.	धातु काष्ठ सहकारी संस्था मर्या., घमूरी	164/24-12-1964	946/29-08-2017
38.	दाल चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नौनेरा	-	946/29-08-2017
39.	ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सर्वा	893/26-02-1974	946/29-08-2017
40.	हरि. तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मौ	2427/24-04-1971	946/29-08-2017
41.	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद	7085/05-12-1977	946/29-08-2017
42.	विजय भारत ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मौ	585/18-05-1988	946/29-08-2017
43.	बोध्य ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मालनपुर	449/16-03-1987	946/29-08-2017
44.	महाकाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, गोहद	1013/04-02-2014	946/29-08-2017

अतः मैं, सुनिल रघुवंशी, व. स. नि. एवं परिसमापक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो, तो इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड (जिला पंचायत परिसर) में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों, व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड बही एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

आज दिनांक 13 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

सुनील रघुवंशी,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1591-A)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1107.-सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लायी गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	भारत कोल ब्रिक्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	299/10-12-1988	676/12-06-2017
2.	म.प्र. लघु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	699/27-08-1991	676/12-06-2017
3.	हरि. गोयल मेटल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	539/04-07-1986	676/12-06-2017
4.	चम्बल घाटी चर्म शोधन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	242/19-10-1992	676/12-06-2017
5.	जनता चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	285/25-10-1972	676/12-06-2017
6.	पीतल पात्र ऐल्मोनियम उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	272/01-07-1982	676/12-06-2017
7.	माँ पीताम्बरा महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	901/31-01-2005	676/12-06-2017
8.	नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., महावीर चौक भिण्ड	887/05-10-2004	676/12-06-2017
9.	ग्रामीण लघु उद्योग स्वा. सहकारिता मर्या., भिण्ड	13/12-06-2002	676/12-06-2017
10.	राजीव गाँधी चर्म उद्योग स्वा. सहकारिता मर्या., भिण्ड	26/26-11-2002	676/12-06-2017
11.	जय भारत चर्म उद्योग स्वा. सहकारिता मर्या., भिण्ड	101/26-02-2004	676/12-06-2017
12.	माँ पद्मावती प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	176/12-10-2004	676/12-06-2017
13.	जय मातादी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	172/12-10-2004	676/12-06-2017
14.	पंचमुखी हनुमान प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नई आबादी भिण्ड	179/18-10-2004	676/12-06-2017
15.	श्री वैष्णों देवी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आर्यनगर भिण्ड	180/18-10-2004	676/12-06-2017
16.	श्री महावीर प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शास्त्रीनगर भिण्ड	36/31-03-2003	676/12-06-2017
17.	मोनिका महिला प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., महावीर गंज, भिण्ड	29/19-12-2002	676/12-06-2017
18.	न्यू जन सेवा प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	46/19-08-2003	676/12-06-2017

1	2	3	4
19.	रामअवतार प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	47/30-08-2003	676/12-06-2017
20.	माँ नौ मुखा महिला प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भण्डार	52/19-11-2003	676/12-06-2017
21.	जय शिव प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नबादा वाग भिण्ड	51/11-11-2003	676/12-06-2017
22.	वनखण्डेश्वर प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	126/30-04-2004	676/12-06-2017
23.	छोलियाना प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	83/24-02-2004	676/12-06-2017
24.	जय देवी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., एस. ए. एफ. कॉलोनी, भिण्ड	79/16-02-2004	676/12-06-2017
25.	प्रयाग सिंह प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बालाजी नगर, भिण्ड	155/23-09-2004	676/12-06-2017
26.	जादौन न्यू लक्ष्मी कॉलोनी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	165/12-10-2004	676/12-06-2017
27.	श्री गणेश प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	107/01-03-2004	676/12-06-2017
28.	रेहन प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	110/01-03-2004	676/12-06-2017
29.	शीतला माता प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इटावा रोड, भिण्ड	109/01-03-2004	676/12-06-2017
30.	अजीत सिंह प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	175/12-10-2004	676/12-06-2017
31.	लक्ष्मी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अकोड़ा	115/01-03-2004	676/12-06-2017
32.	इन्द्रागांधी महिला प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	129/19-05-2004	676/12-06-2017
33.	शाती प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	131/26-05-2004	676/12-06-2017
34.	प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., वार्ड क्रमांक 11, भिण्ड	121/06-04-2004	676/12-06-2017
35.	श्री नाथ स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार, भिण्ड	64/28-01-2004	676/12-06-2017

अतः मैं, आर. के. श्रीवास्तव, स. नि. एवं परिसमापक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड (जिला पंचायत परिसर) में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों, व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड बही एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(1591-B)

आर. के. श्रीवास्तव,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3)]

क्र./परि./2017/1516.—सामुदायिक ग्रामीण विकास सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा, पोस्ट वर्धा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री के. सी. यादव के पत्र अनुसार संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है. श्री यादव की संस्था के किसी भी पदाधिकारी से भेंट नहीं हो पायी और न ही संस्था के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची एवं संस्था का रिकार्ड प्राप्त हुआ है. इस कारण से संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अतः उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा सामुदायिक ग्रामीण विकास सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा, पोस्ट वर्धा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./926/07-07-2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ (1605)

विदिशा, दिनांक 26 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1454.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/405, दिनांक 07 मई, 2015 से रघुवंशी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आगासौद, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./983, दिनांक 09 जनवरी, 2015 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा रघुवंशी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आगासौद, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रघुवंशी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आगासौद, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./983, 09 जनवरी, 2015 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। (1593)

विदिशा, दिनांक 26 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1456.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/793, दिनांक 13 अगस्त, 2015 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./837, दिनांक 21 फरवरी, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./837, दिनांक 21 फरवरी, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। (1593-A)

विदिशा, दिनांक 26 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1457.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/579, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से राजस्व शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./343, दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा राजस्व शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./343, दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1593-B)

विदिशा, दिनांक 26 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1458.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/588, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कूल्हा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./698, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कूल्हा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कूल्हा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./698, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1593-C)

विदिशा, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1464.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1973/4634, दिनांक 13 सितम्बर, 1973 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/104, दिनांक 05 फरवरी, 2016 से हनीफिया बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हनीफिया, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./1432, दिनांक 08 जुलाई, 1955 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा हनीफिया बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हनीफिया, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हनीफिया बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हनीफिया, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./1432, दिनांक 08 जुलाई, 1955 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1593-D)

विदिशा, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1465.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/767, दिनांक 24 जून, 2016 से वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./723, दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेशक, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./723, दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1593-E)

विदिशा, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1466.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/766, दिनांक 24 जून, 2016 से माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रतनबरी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./658, दिनांक 21 अप्रैल, 2003 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेशक, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रतनबरी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रतनबरी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./658, दिनांक 21 अप्रैल, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1593-F)

विदिशा, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1467.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1242, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 से प्रियंका सिलाई-कढ़ाई एवं महिला उत्थान सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./619, दिनांक 02 जनवरी, 1997 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा प्रियंका सिलाई-कढ़ाई एवं महिला उत्थान सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रियंका सिलाई-कढ़ाई एवं महिला उत्थान सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./619, दिनांक 02 जनवरी, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1593-G)

विदिशा, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1468.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/581, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से विन्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./548, दिनांक 12 अगस्त, 1996 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा विन्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विन्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ ए. आर./व्ही. डी. एस./548, दिनांक 12 अगस्त, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1593-H)

विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1517.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/613, दिनांक 04 मई, 2016 से सांची ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./701, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सांची ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांची ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./701, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1605-A)

विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1518.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/699, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मदनयाई, पोस्ट मुराहर, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./844, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मदनयाई, पोस्ट मुराहर, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मदनयाई, पोस्ट मुराहर, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./844, दिनांक 26 फरवरी, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1605-B)

विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1519.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/697, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विषधा, पोस्ट पिपराहा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./828, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विषधा, पोस्ट पिपराहा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विषधा, पोस्ट पिपराहा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./828, दिनांक 08 फरवरी, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1605-C)

विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1520.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/698, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रसूलपुर, पोस्ट रसूलपुर, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./832, 08 फरवरी, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रसूलपुर, पोस्ट रसूलपुर, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रसूलपुर, पोस्ट रसूलपुर, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./832, दिनांक 08 फरवरी, 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1605-D)

विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1521.—कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक कृषि उत्पादन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा विगत तीन वर्षों 2013-14, 2014-15, 2015-16 से सहकारी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन करने एवं उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है। संस्था की अंकेक्षण रिपोर्ट अनुसार संस्था निष्क्रिय है, मात्र संस्था के बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज की प्राप्ति ही संस्था को हो रही है। संस्था न तो पंजीकृत उपविधि अनुसार कार्य कर रही है और न ही सहकारी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन कर रही है, जिसका प्रमाण यह है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2017/568, दिनांक 06 अप्रैल, 2017 द्वारा चाही गयी जानकारी संस्था द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था का संचालन सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया जाकर मनमाने तरीके से किया जा रहा है। सुलभ संदर्भ हेतु अंकेक्षित वित्तीय पत्रक 2013-14, 2014-15, 2015-16 की प्रति एवं कार्यालयीन पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2017 की प्रति संलग्न है।

अतः उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा प्राथमिक कृषि उत्पादन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./591/05-03-2001 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ।

(1605-E)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला दतिया

दतिया, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1397.—सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला दतिया ने निम्न सहकारी सोसायटियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ राज राजेश्वरी प्राथमिक महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सेवदा.	AR/DTA/548, दिनांक 07-09-2016	क्र./परि./2017/1200, दिनांक 31-07-2017

1	2	3	4
2.	पूनम महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., दतिया.	AR/DTA/527, दिनांक 16-06-2015	क्र./परि./2017/1206, दिनांक 31-07-2017
3.	हरिजन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., दतिया	AR/DTA/528, दिनांक 16-06-2015	क्र./परि./2017/1205, दिनांक 31-07-2017
4.	माँ पीताम्बरा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., दतिया	AR/DTA/396, दिनांक 02-08-2010	क्र./परि./2017/1199, दिनांक 31-07-2017
5.	राजराजेश्वरी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., दतिया.	AR/DTA/531, दिनांक 22-08-2015	क्र./परि./2017/1196, दिनांक 31-07-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 कि नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

डी. के. पटैरिया,
परिसमापक.

(1592)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1625.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रणायरा, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 69 दिनांक 01 सितम्बर, 2015) के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल को निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिसके आधार पर आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./2017/2/4884, दिनांक 08 मई, 2017 द्वारा श्री मोहम्मद आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र दिनांक 13-06-2017 एवं 06-06-2017 से अवगत कराया गया कि संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा संस्था में धनराशि के अभाव में निर्वाचन नहीं कराये जाने का उल्लेख करते हुए संस्था को बंद किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि संस्था लगातार निष्क्रिय होकर अधिनियम एवं उपविधि का उल्लंघन कर रही है जिसकी वजह से उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाती हैं।

अतः मैं, श्वेता रावत, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रणायरा, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 69 दिनांक 01 सितम्बर, 2015) को आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से परिसमापन में लाती हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड बडौद, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1596)

आगर-मालवा, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1626.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हडाईखेडा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 71 दिनांक 01 सितम्बर, 2015) के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल को निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था. जिसके आधार पर आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./2017/2/4885, दिनांक 08 मई, 2017 द्वारा श्री मोहम्मद आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था.

रिटर्निंग अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र दिनांक 13-06-2017 एवं 06-06-2017 से अवगत कराया गया कि संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा संस्था में धनराशि के अभाव में निर्वाचन नहीं कराये जाने का उल्लेख करते हुए संस्था को बंद किये जाने का उल्लेख किया गया है. उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि संस्था लगातार निष्क्रिय होकर अधिनियम एवं उपविधि का उल्लंघन कर रही है जिसकी वजह से उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाती हैं.

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हडाईखेडा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 71 दिनांक 01 सितम्बर, 2015) को आज दिनांकअक्टूबर, 2017 से परिसमापन में लाती हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड आगर, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1596-A)

आगर-मालवा, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1630.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/275, दिनांक 21 जुलाई, 2016 के द्वारा श्री कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., बडागाँव, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 02 फरवरी, 2001) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 03 वर्षीय कार्ययोजना संलग्न की गयी है जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था के लाभ में संचालन को दर्शाया गया है. संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., बडागाँव, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 02 फरवरी, 2001) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्री नारायणसिंह/पर्वतसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री पवन कुमार/गोकूलसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री शिवनारायण/रतनलाल	संचालक
4.	श्री अनिलकुमार/जयनारायण	संचालक
5.	श्री गोकूलसिंह/गंगाराम	संचालक

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
6.	श्री मकबुल खां/सत्तार खां	संचालक
7.	श्री अम्बास खां/वली मोहम्मद	संचालक
8.	श्री रामलाल/उंकारलाल	संचालक
9.	श्री उदयसिंह/पन्नालाल	संचालक
10.	श्री जयनारायण/शिवलाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1596-B)

श्वेता रावत,
प्र. उप पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला दतिया

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भेदपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 497, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/510, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भेदपुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. वरसैया, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. डी. वरसैया, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1597)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरसई, जिसका पंजीयन क्रमांक 494, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/507, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरसई को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. वरसैया, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. डी. वरसैया, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(1597-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दबरीघाट, जिसका पंजीयन क्रमांक 498, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/511, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था। सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी। संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है। संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है।
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दबरीघाट को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. वरसैया, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. डी. वरसैया, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(1597-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जौनहार, जिसका पंजीयन क्रमांक 496, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/509, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था। सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी। संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है। संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है।
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जौनहार को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. वरसैया, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. डी. वरसैया, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(1597-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धौड़, जिसका पंजीयन क्रमांक 495, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/508, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धौड़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. वरसैया, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. डी. वरसैया, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1597-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चकहतलई, जिसका पंजीयन क्रमांक 499, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/512, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चकहतलई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. वरसैया, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. डी. वरसैया, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1597-E)

आर. पी. मिश्रा,
सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी तामिया, जिला छिन्दवाड़ा

तामिया, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2015/631 छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च, 2015 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है,

परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	पातालकोट फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., श्रीझोंत	970/10-01-2014
2.	माँ कृपा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति, खमतारा	1008/10-01-2014
3.	शिवशक्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उमरवाह	935/10-01-2014
4.	माँ दुर्गा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी	959/10-01-2014
5.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बंधीबोदलकछार	961/10-01-2014
6.	जय शिव भोले उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उमरिया	962/10-01-2014
7.	जय श्री किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी	968/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

राजेन्द्र कुमार काम्बले,

(1602)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा

बिछुआ, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2015/631 छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च, 2015 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	बीज उत्पादक सहकारी समितियाँ मर्या., बिछुआ	741/30-09-2010
2.	रानी दुर्गावती महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जमुनियाकला	841/10-01-2014
3.	राधिका महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खमारपानी	848/10-01-2014
4.	बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकलौं	861/10-01-2014

1	2	3
5.	जय सतपुड़ा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., डोकलीखुर्द	917/10-01-2014
6.	उत्थान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., डोलापांजरा	926/10-01-2014
7.	जय श्री माँ शारदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., थुयेपानी	1006/10-01-2014
8.	जय माता भवानी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ	958/10-01-2014
9.	जय श्री माँ अम्बे बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खैरीमाली	969/10-01-2014
10.	जय माँ भवानी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देनी	978/10-01-2014
11.	माँ वैष्णवी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लोहारबतरी	979/10-01-2014
12.	माँ उज्ज्वला बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., तुमड़ागड़ी	980/10-01-2014
13.	जय माता दी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पलासपानी	999/10-01-2014
14.	सुरुचि बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कुण्डई	1007/10-01-2014
15.	अभिनव बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उल्हावाड़ी	1015/10-01-2014
16.	साईनाथ फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ (मुख्यालय झामटा)	1016/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण-पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

मो. आरिफ कुरैशी,

(1602-A)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी पाणहुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2015/631 छिन्दवाड़ा, दिनांक 23/03/2015 एवं आदेश क्र./उपछि/परि./2016/1526, छिन्दवाड़ा, दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	गोविंद संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., तीगांव	192/02-03-1964	631/23-03-2015
2.	जनजाति वनश्रमिक सहकारी समिति मर्या., सांगाखेडा	253/22-03-1965	1526/05-05-2016

1	2	3	4
3.	ग्राम भारती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., अंबाडा	662/31-05-2005	1526/05-05-2016
4.	श्री गायत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पाण्डुर्णा	181/15-10-1988	631/23-03-2015
5.	तिलहन उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बनगांव (पाण्डुर्णा)	159/16-10-1987	1526/05-05-2016
6.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., चांगोबा	449/22-09-1994	1526/05-05-2016
7.	रैदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाण्डुर्णा	676/13-03-2006	1526/05-05-2016
8.	गोरा कुम्हार औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., पाण्डुर्णा	47/06-09-1960	1526/05-05-2016
9.	चांगोबा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांगोबा	782/16-03-2012	1526/05-05-2016
10.	बडचिचोडी दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बडचिचोडी	785/16-03-2012	1526/05-05-2016
11.	कोण्डाली दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कोण्डाली	1021/29-03-2014	1526/05-05-2016
12.	सेन्दुरजना दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सेन्दुरजना	791/28-04-2012	1526/05-05-2016
13.	दुग्ध उत्पा. महिला सहकारी समिति मर्या., सातभाईढाना	1029/29-03-2014	1526/05-05-2016
14.	गौरीढाना दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गौरीढाना	812/10-01-2014	1526/05-05-2016
15.	चाटवा दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., चाटवा	1047/20-10-2014	1526/05-05-2016
16.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., टेमनी	824/10-01-2014	1526/05-05-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण-पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

पी. के. लाल,

(1602-B)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./913, छिन्दवाड़ा, दिनांक 22/08/2006, आदेश क्र./उपछि/परि./581, छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 मार्च, 2014 आदेश क्र./उपछि/परि./2015/631 छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./उपछि/परि./2016/1526, छिन्दवाड़ा, दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	जिला वनोपज प्रसंस्करण सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	612/31-01-2002	931/22-08-2006

1	2	3	4
2.	जिला वृक्ष सहकारी संघ मर्या., छिन्दवाड़ा	330/26-11-1991	913/22-08-2006
3.	विकास बुनकर सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	372/16-12-1976	913/22-08-2006
4.	नवनीत हरिजन बुनकर सहकारी समिति मर्या., मूसादेही	70/12-03-1979	913/22-08-2006
5.	महादेव खांडसारी उत्पा. सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	548/26-06-1996	913/22-08-2006
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उभेगांव	506/10-05-1995	913/22-08-2006
7.	म.प्र. तृतीय वर्ग कर्म. गृह निर्माण सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	240/11-07-1989	913/22-08-2006
8.	प्रेरणा संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., झिरीजमुनिया	218/01-07-1964	913/22-08-2006
9.	नवकिरण संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., पांथ	182/30-01-1964	913/22-08-2006
10.	पार्वती महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., ढिमराढाना	668/18-11-2005	913/22-08-2006
11.	जिला थोक उप. सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	17/19-08-1966	913/22-08-2006
12.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	20/09-04-1964	581/19-03-2014
13.	शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., खजरी	84/26-06-1984	631/23-03-2015
14.	बहुउद्देशीय महिला सहकारी समिति मर्या., रामगढ़ी	570/29-01-1998	581/19-03-2014
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचरिया	762/22-11-2011	1526/05-05-2016
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नेर	458/08-12-1994	1526/05-05-2016
17.	ग्लोबल को. आपरेटिव व्ही. क्रेडिट प्रा. सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	837/10-01-2014	1526/05-05-2016
18.	माँ बंजारी स्व. सहायता सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	836/10-01-2014	1526/05-05-2016
19.	प्रियदर्शनी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चंदनगांव	601/18-01-2000	1526/05-05-2016
20.	दुग्ध उत्पादक प्रा. महिला सहकारी समिति मर्या., अतरवाडा	1028/29-03-2014	1526/05-05-2016
21.	आदर्श बहु. प्राथ. सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	830/10-01-2014	1526/05-05-2016
22.	दादाजी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	600/01-06-2000	1526/05-05-2016
23.	जय श्री माँ वैष्णवी बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., सोनपुर	987/10-01-2014	631/23-03-2015
24.	श्री साईं बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., जमुनिया	-	1526/05-05-2016
25.	महिला वंशकार सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	425 -	581/19-03-2014
26.	शंकर संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., पिपरियालालू	231/26-12-1964	631/23-03-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हों, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण-पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(1602-C)

एम. एल. चौकसे,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2006/913, छिन्दवाड़ा, दिनांक 22/08/2006, के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	नागरिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मोगांवहवेली	563/31-01-1947	913/22-08-2006
2.	श्री गणेश बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	370/12-10-1979	913/22-08-2006
3.	श्रीराम बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	380/12-10-1979	913/22-08-2006
4.	कीर्ति बुनकर सहकारी समिति मर्या., लोधीखेडा	382/12-10-1979	913/22-08-2006
5.	आनंद बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	399/17-01-1981	913/22-08-2006
6.	निर्मल बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	62/03-03-1984	913/22-08-2006
7.	विजय बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	65/07-03-1984	913/22-08-2006
8.	दि इण्डीपेंडेंट बुनकर सहकारी समिति मर्या., लोधीखेडा	566/-	913/22-08-2006
9.	तृप्ति बुनकर सहकारी समिति मर्या. लोधीखेडा	400/17-01-1981	913/22-08-2006
10.	सरस्वती बुनकर सहकारी समिति मर्या., लोधीखेडा	639/21-07-1951	913/22-08-2006
11.	पंचशील हरिजन बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांवहवेली	68/12-03-1984	913/22-08-2006
12.	सतनाम बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांवहवेली	640/04-08-1951	913/22-08-2006
13.	जयभवानी झुगगी झोपड़ी बुनकर सहकारी समिति मर्या., हिवरी	483/31-08-1984	913/22-08-2006
14.	विश्वकर्मा काष्ठकला तथा लोहारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सौंसर	38/11-03-1960	913/22-08-2006
15.	सुशील सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., सौंसर	101/13-05-1985	913/22-08-2006
16.	गुरुरविदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामाकोना	110/19-05-1986	913/22-08-2006
17.	इंदिरा आदि. ईट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेढेपठार	228/28-11-1988	913/22-08-2006
18.	प्रशांत ईट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्या., लोधीखेडा	229/03-12-1988	913/22-08-2006
19.	हरिजन बंसकार उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामाकोना	25/04-01-1989	913/22-08-2006
20.	वसुंधरा महिला रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी समिति मर्या., सौंसर	435/28-08-1993	913/22-08-2006
21.	श्री शारदा शिक्षक सहकारी समिति मर्या., लोधीखेडा	148/24-08-1987	913/22-08-2006

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा

में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधि कारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

पी. के. लाल

(1602-D)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी हरई, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि.913, छिन्दवाड़ा, दिनांक 22/08/2006 एवं आदेश क्र./उपछि/परि./2015/631, छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./उपछि/परि./2016/1526, छिन्दवाड़ा, दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ	579/17-06-1998	1526/05-05-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुमका	727/22-05-2010	1526/05-05-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुण्डाली	1058/06-06-2015	1526/05-05-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भेड़ा	1056/06-06-2015	1526/05-05-2016
5.	माँ गंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुमका	988/10-01-2014	631/23-03-2015
6.	जय श्री माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ	989/10-01-2014	631/23-03-2015
7.	जय भवानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरई	742/30-09-2012	631/23-03-2015
8.	श्री दादाजी फल-फूल, साग-सब्जी, उत्पा. सह. समिति मर्या., भुमका	904/10-01-2014	631/23-03-2015
9.	ज्योति फल-फूल, साग-सब्जी उत्पा. सह. समिति मर्या., नवलपुर	905/10-01-2014	631/23-03-2015
10.	विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुरलाखापा	193/02-03-1964	913/22-08-2006
11.	वनश्रमिक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया	112/30-12-1962	913/22-08-2006

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियों समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(1602-E)

आर. एन. डेहरिया,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./उपछि/परि./2015/631 छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च, 2015 एवं आदेश क्र./उपछि/परि./2016/1526, छिन्दवाड़ा, दिनांक 05 मई, 2016 के अनुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोंडरा	696/04-10-2007	631/23-03-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांकामुकासा	430/24-12-1993	631/23-03-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमराअडकू	578/17-06-1998	1526/05-05-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिरेटी	718/21-12-2009	1526/05-05-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुटियाढाना	725/25-01-2010	1526/05-05-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., थावरीखुर्द	761/25-11-2011	1526/05-05-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहलोन	803/26-05-2012	1526/05-05-2016
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुखारीकलां	1023/29-03-2014	1526/05-05-2016
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छुई	1027/29-03-2014	1526/05-05-2016
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., श्री पीपलपानी	1030/29-03-2014	1526/05-05-2016
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धसनवाडा	1033/29-09-2014	1526/05-05-2016
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अकलमा	1041/14-10-2014	1526/05-05-2016
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाडा	534/13-12-1995	1526/05-05-2016
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुसीपार	1044/14-10-2014	1526/05-05-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बटबारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गये तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधि कारी/उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(1602-F)

आर. एन. डेहरिया,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधि नियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

अतः मैं उमेश खटीक, सहकारी निरीक्षक सम्बन्धित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मैं प्रमाण के लिखितरूप से प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा दें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहु. सहकारी समिति, छापरी ठाकुर	519/28-03-2002	339/26-03-2016	उमेश खटीक, सह. निरी.
2.	शक्ति महिला सहकारी समिति, ईमलाई	520/30-08-2002	338/26-03-2016	,,
3.	जय अम्बेंमाता महिला सहकारी समिति, हिरदेपुर	528/26-10-2002	362/26-03-2016	,,
4.	शक्ति महिला सहकारी समिति, बिलाई	522/10-09-2002	337/26-03-2016	,,
5.	ग्रामीण महिला सहकारी समिति, सिंगपुर ईमलाई	530/25-10-2002	364/26-03-2016	,,
6.	महिला बहु. सहकारी समिति, सिहोरा पड़रिया	535/06-11-2002	357/26-03-2016	,,
7.	महिला बहु. सहकारी समिति, सिहोरा वरमासा	536/12-11-2002	358/26-03-2016	,,
8.	महिला बहु. सहकारी समिति, हथना	567/01-06-2004	348/26-03-2016	,,
9.	सहयोगी महिला सहकारी समिति, चदौरा	575/11-03-2005	349/26-03-2016	,,
10.	श्री केशव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति, बूरन्डा दमोह	577/06-05-2005	366/26-03-2016	,,
11.	जय अम्बें माता ईंधन आपूर्ति, हिडोरिया	582/08-12-2005	336/26-03-2016	,,
12.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी समिति, ईमलाई	766/31-01-2013	335/26-03-2016	,,

(1601)

उमेश खटीक,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधि नियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

अतः मैं मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक सम्बन्धित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मैं प्रमाण के लिखितरूप से प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	स्थिति महिला ईंधन आपूर्ति, बिजौरा खमरिया	576/06-05-2006	367/26-03-2016	मुकेश गुप्ता, सह. निरी.

मुकेश गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक.

(1601-A)

कार्यालय परिसमापक, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधि नियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

अतः मैं शालकराम अट्ट्या, सहकारी निरीक्षक सम्बन्धित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मैं प्रमाण के लिखितरूप से प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, रामकुटी	750/21-03-2012	299/21-03-2016	प्रभारी शीत केन्द्र, हटा
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, महन्तपुर	716/08-11-2001	300/21-03-2016	,,
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बिलाई	753/21-03-2012	301/21-03-2016	,,

1	2	3	4	5
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कादीपुर	718/08-11-2011	302/21-03-2016	प्रभारी शीत केन्द्र, हटा
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भिलौनी	637/06-10-2010	303/21-03-2016	,,
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, हारट	637/06-10-2010	304/21-03-2016	,,
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कांटी	685/06-11-2011	305/21-03-2016	,,
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पाठा	693/06-11-2011	306/21-03-2016	,,
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, वर्धापोठी	723/08-11-2011	307/21-03-2016	,,
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, रमपुरा धरमपुरा	721/08-11-2011	308/21-03-2016	,,
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, विजवार	712/08-11-2011	309/21-03-2016	,,
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पाली	705/08-11-2011	310/21-03-2016	,,
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, तेवरईया	719/08-11-2011	311/21-03-2016	,,
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, उदयपुरा पुरेना	706/08-11-2011	312/21-03-2016	,,
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, देवरी	634/06-10-2010	313/21-03-2016	,,
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, महुआखेड़ा	689/11-09-2011	314/21-03-2016	,,
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बरोदाकला	754/21-03-2011	315/21-03-2016	,,
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बगुरिया	678/06-11-2011	316/22-03-2016	,,
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मुआरी	692/11-06-2011	317/22-03-2016	,,
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पटना	696/11-06-2011	318/22-03-2016	,,
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बमनपुरा	720/08-11-2011	319/22-03-2016	,,
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, राजाबंदी	725/08-11-2011	320/22-03-2016	,,
23.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भरतला	702/08-11-2011	321/22-03-2016	,,
24.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पड़री सहजपुर	717/08-11-2011	322/21-03-2016	,,
25.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मझंगुवा पतोल	734/08-11-2011	323/21-03-2016	,,
26.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पालर	690/06-01-2014	324/21-03-2016	,,
27.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मुठिया	714/08-11-2011	325/21-03-2016	,,
28.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बरी	715/08-11-2011	326/21-03-2016	,,
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, खजरी	704/08-11-2011	327/21-03-2016	,,
30.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ढिगसर	727/08-11-2011	328/21-03-2016	,,
31.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मारासूरी	737/21-03-2012	329/21-03-2016	,,
32.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, आनू	752/21-03-2012	330/21-03-2016	,,
33.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पायराखेडी	749/21-03-2012	331/21-03-2016	,,
34.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, खमरिया महुना	745/21-03-2012	332/21-03-2016	,,
35.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुन्जी	747/21-03-2012	79/09-02-2017	,,
36.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, अजीतपुरा	738/21-03-2012	80/09-02-2017	,,
37.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कौशलपुर रनेह	710/08-11-2011	75/09-02-2017	,,

1	2	3	4	5
38.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, तिदनी	681/14-06-2011	77/09-02-2017	प्रभारी शीत केन्द्र, हटा
39.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, देवरी रतन	679/14-06-2011	78/09-02-2017	,,
40.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बरौदा कला	754/21-03-2012	315/22-03-2016	,,
41.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, विलाखुर्द	697/14-06-2011	132/28-02-2017	,,
42.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मडिया छेबला	726/08-11-2011	76/09-12-2017	,,

(1601-B)

सालकराम अठ्या,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

अतः मैं मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक सम्बन्धित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मैं प्रमाण के लिखितरूप से प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहु. सहकारी समिति, करैया राख	538/12-11-2002	359/26-03-2016	टी. के. मिश्रा, सह. निरी.
2.	रानी दुर्गावती महिला सह. समिति, चौपरा नदरई	539/13-12-2002	356/26-03-2016	,,
3.	गायत्री म. बहु. सहकारी समिति, सेमरा लखरोनी	550/26-02-2003	360/26-03-2016	,,

(1601-D)

टी. के. मिश्रा,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

अतः मैं मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक सम्बन्धित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मैं प्रमाण के लिखितरूप से प्रस्तुत करें।

समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	स्वाति महिला बहु. सहकारी समिति, बकायन	524/30-09-2002	365/26-03-2016	उमेश खटीक, सह. निरी.
2.	सरस्वती म. बहु. सहकारी समिति, तिरमुड़ा	589/24-04-2007	344/26-03-2016	„

(1601-E)

उमेश खटीक,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

अतः मैं मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक सम्बन्धित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मैं प्रमाण के लिखितरूप से प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	इन्द्रा गांधी महिला बहु. सहकारी समिति, सिहोरा तेजगढ़	561/27-09-2003	350/26-03-2016	अनिल जैन, सह. निरी.
2.	श्रीराम महिला बहु. सहकारी समिति, सर्रा-तेन्दूखेड़ा	578/29-10-2005	347/26-03-2016	„
3.	महिला बहु. सहकारी समिति, बम्होरी पांजी	579/26-04-2005	346/26-03-2016	„
4.	महिला बहु. सहकारी समिति, पिण्डरई	580/26-11-2005	345/26-03-2016	„
5.	महिला बहु. सहकारी समिति, बैलवाड़ा	594/13-12-2007	342/26-03-2016	„
6.	महिला बहु. सहकारी समिति, समनापुर	596/24-04-2008	341/26-03-2016	„

(1601-F)

अनिल जैन,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

अतः मैं बसंत रोहित, सहकारी निरीक्षक सम्बन्धित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर हमें कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दमोह में, मैं प्रमाण के लिखितरूप से प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	सरस्वती महिला प्रा. सहकारी समिति, रनेह	531/28-10-2002	363/26-03-2016	बसंत रोहित, सह. निरी.
2.	संत रविदास महिला सहकारी समिति, बरखेड़ा चैन	542/19-12-2002	355/26-03-2016	,,
3.	महिला बहु. सहकारी समिति, रनेह	610/03-11-2009	340/26-03-2016	,,
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, बोरी खुर्द	481/26-06-1996	368/26-03-2016	,,

(1601-G)

बसंत रोहित,
सहकारी निरीक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2017-कार्तिक 19, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 मई, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के श्योपुर, भिण्ड, टीकमगढ़, रीवा, उज्जैन व जबलपुर को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील श्योपुर (श्योपुर), मिहोना (भिण्ड), जतारा (टीकमगढ़), त्योंथर, सिरमोर (रीवा), महिदपुर (उज्जैन), पाटन, जबलपुर (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- - तहसील लहार (भिण्ड) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर, बालाघाट में रोपाई व पन्ना, दमोह, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन, सीहोर, जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला ग्वालियर, शाजापुर, खण्डवा, नरसिंहपुर में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला पन्ना, सागर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, नीमच, झाबुआ, बड़वानी व सीहोर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 मई, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	3.0		4. (1) गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	24.2				
6. मिहोना	6.0				
7. रौन					
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सेवड़ा	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछौर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उडुद, मक्का, गेहूँ, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..		(2) ..		
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	2.0				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुभर,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	..		उडुद, मूँग, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,		
4. पवई	..		अलसी, मसूर, मटर, आलू प्याज.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		आलू, प्याज.		
4. सागर	..		(2) ..		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँग, उड़द सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, अरहर अधिक. राई-सरसों कम, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. त्योंथर	9.0				
2. सिरमौर	14.0				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्या	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4.(1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	9.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना, रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .				
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. जोवट	. .				
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .				
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .				
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, तुवर, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .				
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..		(2) ..		
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	अप्राप्त		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) उड़द, मूँग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	8.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	5.4				
4. मझोली	..				
5. कुण्डम	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मसूर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		मटर अधिक. सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .		गन्ना, गेहूँ कम.		
4. गोटेगाव	. .		(2) . .		
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांडुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. चांद	. .				
10. बिछुआ	. .				
11. हरई	. .				
12. उमरेठ	. .				
13. बोलखेड़ा	. .				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसल धान की रोपाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खैरलाँजी	. .				
4. बैहर	. .				
5. लालबर्रा	. .				
6. वारासिवनी	. .				
7. बिरसा	. .				
8. कटंगी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला सिंगरौली, रतलाम, बैतूल व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.